



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

परिशिष्ट (घ)

छ0ग0भूमि विकास नियम 1984 नियम 27

(भवन का विकास/भवन की अनुज्ञा की स्वीकृत करने के लिए प्रारूप)

प्रति,

श्री/श्रीमती सू-बबूल प्लान्टेशन
 पार्टनर - श्रीमती अमृता ए शाह
 पिता/पति श्री अरविंद शाह
 वर्तमान पता सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, दूरा
 विषय:- भवन अनुज्ञा बाबत

काउन्टर क्र. 139
 आवेदन दि. 15/4/19
 अनुज्ञा क्र. 867
 अनुज्ञा दि. 6/7/19
 अनुज्ञा अवधि 1 वर्ष

(छ.ग.भूमि विकास नियम 1984 नियम 2 एवं छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत)

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि भूमि/भवन के विकास निर्माण हेतु प्राधिकारी द्वारा संदर्भित नियम अनुसार निर्बंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए नगर पालिक निगम, द्वारा स्वीकृति दी गई है।

क	आवेदक/लायसेंसधारी का विवरण			
01	आवेदक का नाम	सू-बबूल प्लान्टेशन, पार्टनर - श्रीमती अमृता ए शाह		
02	अनुज्ञाधारी का नाम	श्री सुदेश भावनानी	लायसेंस क्रमांक	637/2014
ख	निर्माण स्थल विवरण			
01	वार्ड क्रमांक	07	ब्लॉक क्रमांक	प्लॉट क्रमांक
02	खसरा क्रमांक	2041, 2042, 2046/1(2046/2) & 2047/48		
03	प्रयोजन	आवासीय	पता	ग्राम कोहका
ग	स्वीकृत अनुज्ञा का विवरण विकास योजना भिलाई के अध्याय-9 सारणी-10 के अनुसार			
01	भू-खण्ड का क्षेत्रफल	39800.00 व.मी. में से 19006.66 व.मी. (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J + क्लब)		
02	तलघर/स्टील्ट पार्किंग	7531.78 व.मी.	चतुर्थ तल	4163.37 व.मी.
	भूतल	853.37 व.मी.	पंचम तल	4220.99 व.मी.
	प्रथम तल	4534.20 व.मी.	षष्ठम तल	4220.99 व.मी.
	द्वितीय तल	4350.92 व.मी.	अन्य सप्तम तल	- 4220.99 व.मी.
	तृतीय तल	4163.37 व.मी.	पेंटहाउस	अन्य - 467.62 व.मी.
03	कवरेज (प्रतिशत में) - 30%	एफ.ए.आर. - 1.75	ऊँचाई (मीटर में) -	21 मी.
04	सेटबैक:- सामने 7.00 मी.	पीछे 7.0 मी.	साईड-ए 7.00 मी.	साईड -बी 7.0 मी.
घ	शुल्क का विवरण:- रसीद क्र0 - 7746/86 दिनांक - 25.06.2019 कुलराशि रु. 13,48,326=00			
01	भवन अनुज्ञा शुल्क रु.	12,37,576=00	02. समझौता शुल्क रु.	
03	सड़कबाधा शुल्क रु.	1,10,000=00	04. विकास शुल्क रु.	
05	बाउन्ड्रीवाल शुल्क रु.	750=00	06. अन्य	
	कर्मकार शुल्क रु.	5,38,000=00		
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग (एफ.डी.आर.) रु.	- 2,64,845=00		

ड.	वर्तमान अनुज्ञा के पूर्व की स्थिति	
01	भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र	
02	भवन पूर्णता प्रमाणपत्र	03 विद्युत एन.ओ.सी.
विशेष :-	Open पार्किंग क्षेत्र - 2355.42 व.मी. सेटबैक सभी ब्लॉक (A,B,C,D,E,F,G,H,I & J) एक समान है।	

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अन्य निर्बंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए स्वीकृति दी है जिसका विवरण अनुज्ञा के पृष्ठ भाग पर मुद्रित है। अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित

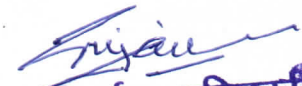
सदस्यक

(भवन अनुज्ञा)
 नगर पालिक निगम, भिलाई

भवन निर्माण अधिकारी
 नगर पालिक निगम
 भिलाई (दुर्ग)

अन्य निबंधनों एवं शर्तें

1. भवन निर्माण प्रारंभ करने की सूचना को लिखित प्रारूप परिशिष्ट (ड) में छ.ग. भूमि विकास नियम-1984 नियम 31 (2) (घ) में देना अनिवार्य होगा। एवं नियम 31 के अंतर्गत भूस्वामी के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. भवन का आर.सी.सी./स्ट्रक्चरल/डिजाइन/स्पेसीफिकेशन निगम में पंजीकृत अनुज्ञप्तिधारी सुपरवाइजर/इंजीनियर से कराकर उनके निरीक्षण में निर्माण कार्य करना होगा। सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व भू-स्वामी का होगा।
3. भूखण्डों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
4. आवासीय/व्यवसायिक भवनों में गर्म जल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सौर गर्म जल संयंत्र की स्थापना की जानी होगी।
5. नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत ऊंचे, बड़े भवनों में अग्नि सुरक्षा के समुचित उपायों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।
6. भू-स्वामित्व संबंधी किसी प्रकार का विवाद होने पर दी गई अनुज्ञा प्रभावशील नहीं मानी जावेगी।
7. भूखण्ड पर पांच वृक्ष लगाना अनिवार्य है।
8. विद्युत संयोजन कार्यवाही हेतु यह स्वीकृति मान्य नहीं होगी किन्तु विद्युत संयोजन हेतु पृथक से भवन पूर्णतः प्रमाण पत्र एन.ओ. सी. लेना होगा।
9. निर्माण कार्य का निम्न चरणों पर निरीक्षण करावें, एवं इस हेतु भवन अधिकारी को सूचित करें।
(1) प्लिंथ लेबल पर (2) लेंटर पर लेबर (3) प्रत्येक तल के पूर्ण होने पर
10. निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति लिया जाना आवश्यक होगा।
11. अनुज्ञा की अवधि 1 वर्ष तक की होगी। निर्माण प्रारंभ या पूर्ण न करने की स्थिति में भवन अनुज्ञा का नवीनीकरण कराना होगा।
12. अल्प, मध्यम वोल्ट लाईन, सेवा लाईन से खड़े रूप में 2.5 मीटर एवं आड़े रूप में 1.2 मीटर दूरी के भीतर एवं 33 किलो वोल्ट तक तथा उच्च वोल्टेज लाईन सहित खड़े रूप में 3.7 मीटर एवं आड़े रूप में 1.2 मीटर दूरी के भीतर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करना होगा।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में एवं शर्तों के उल्लंघन होने पर प्रदत्त अनुज्ञा स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा।
14. भवन निर्माण अनुज्ञा केवल पूर्व पृष्ठ पर उल्लेखित प्रयोजन हेतु मान्य हैं। स्वीकृत भूउपयोग के अतिरिक्त भवन का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करने पर प्रदत्त अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।


भवन निर्माण अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई (दुर्ग).....

पृ.क्र./सांत/2/भ.अ

प्रतिलिपि :-

1. राजस्व अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
2. सर्व संबंधित प्रशासकीय अधिकारी को प्रेषित।
3. संपत्तिकर अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई

भिलाई, दिनांक.....


प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पद नाम.....